भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4763

जिसका उत्तर 31 मार्च, 2022 को दिया जाना है।

.....

बाढ़ की घटनाएं

4763. एडवोकेट ए.एम. आरिफ़:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल की अवधि में देश के विभिन्न राज्यों में कम समय में अधिक वर्षा के कारण बाढ़ की घटना पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश की प्रमुख नदियों में बाढ़ नियंत्रण बांधों के निर्माण पर विस्तृत अध्ययन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार प्राथमिकता के आधार पर बाढ़ नियंत्रण बांधों के निर्माण हेतु राज्य को तकनीकी और वित्तीय सहायता देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडू)

(क): बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जिसका सामना देश में लगभग हर वर्ष अलग-अलग परिमाण में होता है। बाढ़ की घटना को विभिन्न कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसमें सामान्य पैटर्न से बार-बार विपतन के साथ समय और स्थान दोनों में वर्षा में व्यापक बदलाव, नदियों की अपर्याप्त वहन क्षमता, नदी तट का अपरदन और नदी के तल की गाद, भूस्खलन, बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में खराब प्राकृतिक जल निकासी, हिमपात और हिमनद झीलों का फटना आदि शामिल है। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) देश में बाढ़ पूर्वानुमान और प्रारंभिक बाढ़ चेतावनी के कार्य हेतु एक नोडल संगठन है। वर्तमान में, सीडब्ल्यूसी 331 पूर्वानुमान स्टेशनों (199 नदी स्तर पूर्वानुमान स्टेशनों और 132 बांध/बैराज अंतर्वाह पूर्वानुमान स्टेशनों) के लिए बाढ़ पूर्वानुमान जारी करता है। ये स्टेशन 23 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 20 प्रमुख नदी घाटियों को कवर करते हैं। सीडब्ल्यूसी के बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क के अनुसार, पिछले 3 वर्षों के दौरान, असम, बिहार और उत्तर प्रदेश के मौजूदा बाढ़ प्रवण राज्यों के अलावा, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में अत्यधिक बाढ़ (पिछले

उच्चतम बाढ़ स्तर से ऊपर का जल स्तर) देखी गई थी। में इन राज्यों में अधिक वर्षा के कारण कम अवधि में भारी वर्षा हुई।

(ख) और (ग): जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अनुसार अध्ययन करने और नदियों को जोड़ने (आईएलआर) के लिए रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया है। नदियों को आपस में जोड़ने (आईएलआर) के कार्यक्रम में अधिशेष बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल के हस्तांतरण की परिकल्पना की गई है और इससे बाढ़ और सूखे के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) ने व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) तैयार करने के लिए 30 लिंक (प्रायद्वीपीय घटक के तहत 16 और हिमालयी घटक के तहत 14) की पहचान की। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के कार्यान्वयन से सतही जल से 25 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई, भूजल के बढ़ते उपयोग से 10 मिलियन हेक्टेयर, अंतिम सिंचाई क्षमता को 140 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाकर 175 मिलियन हेक्टेयर और 34 मिलियन किलोवाट विद्युत उत्पादन का लाभ मिलेगा। सरकार बाढ़ नियंत्रण, सूखा उपशमन, नौवहन, जल आपूर्ति, मत्स्य पालन, लवणता और प्रदूषण नियंत्रण आदि के आकस्मिक लाभों के अलावा परामर्शी तरीके से नदियों को जोड़ने (आईएलआर) के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है और सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

(घ) और (ङ): जल संसाधन परियोजनाएं सिंचाई, पेयजल बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत आदि जैसे विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने स्वयं के संसाधनों से राज्य सरकारों द्वारा नियोजित, वित्त पोषित, निष्पादित और अनुरक्षित की जाती हैं। जल शक्ति मंत्रालय अपनी योजनाओं जैसे प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, राष्ट्रीय परियोजनाओं / विशेष परियोजनाओं, बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम आदि के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश को तकनीकी और प्रचार वितीय सहायता प्रदान करता है।

******